हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

संपर्क का पताः कार्यालय संख्या 510–ए, पांचवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, प्लॉट संख्या टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010 पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057 फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

कब्जा–सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमन, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिन के भीतर चुकाने के लिए नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया।

उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहाँ विवरणित निम्नलिखित, सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में जनता को उक्त संपत्ति के साथ सौदा न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे दी गई राशि के साथ नीचे उल्लिखित तारीख से दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋण खाता संख्याः	बाध्यताधारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) / कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जा– तिथि (रचनात्मक / भौतिक)
HHFLUCHOU 20000011716	हिमांशु मॉल, अंजिता मॉल	26.07.2024 दिनांक 22.07.2024 तक रु. 12,07,807/–	16.09.2025 (भौतिक)

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियो का विवरणः प्लॉट संख्या 84, खसरा संख्या 153 मिंज. के भाग पर निर्मित मकान, जिसका क्षेत्रफल 30.669 वर्ग मीटर यानी 330 वर्ग फुट, कुल निर्मित क्षेत्रफल 37.174 वर्ग मीटर यानी 400 वर्ग फुट, ग्राम–रहीम नगर दुदोली, वार्ड– फैजुल्लागंज, तहसील और जिला– लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमा नीचे दी गई के अनुसारः– पूर्वः गुफरान का मकान, उत्तरः इरफान का प्लॉट, पश्चिमः 16 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः गुलाब गुप्ता का मकान

दिनांकः– 19/09/2025, स्थानः– लखनऊ

हस्ता-/ – अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HDFC BANK

We understand your world

एचडीएफसी बैंक विशेष परिचालन विभागः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 1.06.2024 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता मेसर्स डी के खाद भंडार (उधारकर्ता) अपने मालिक श्री दुन्नी खान और सैमसन बेगम (मालिक/बंधककर्ता/जमानतदार) के माध्यम से, मांग नोटिस में उल्लिखित राशि 31–05–2024 तक **रु.34,46,994.90 (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ चौरानबे और नब्बे पैसे मात्र)** एवं उस पर 01–06–2024 से भविष्य के ब्याज और शुल्कों का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया है। उधारकर्ता(ओं)/गारंटरों/बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि को चुकाने में विफल रहे हैं,उधारकर्ता(ओं)/गारंटरों/बंधककर्ता(ओं)और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 15 सितंबर, 2025 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)/गारंटरों/बंधककर्ता(ओं) और आम जनता को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को दिनांक 31.05.2024 तक और 01.06.2024 से **रु.34,46,994.90 (केवल चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ चौरानबे और नब्बे पैसे)** की राशि व्यय और शुल्क आदि सहित पूर्वोक्त रूप से आपके द्वारा देय राशि के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणी/बंधकों/गारंटरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण	स्वामित्व
व्यावसायिक संपत्ति संख्या 508, (आराजी आबादी संख्या 508) गाँव–हाथीपुर, परगना, पहाड़ा, तहसील सदर, जिला–फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209625, क्षेत्रफल 0.013 हेक्टेयर (0.03 1/4 दशमलव) हिस्सा 1/2=0.006 हेक्टेयर (0.01 1/2 दशमलव) और सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः राम प्रसाद राठौर की संपत्ति, पश्चिमः प्रेम चंद गुप्ता की संपत्ति, उत्तरः सुरेंद्र कुमार गुप्ता और नरेश कुमार गुप्ता की संपत्ति, दक्षिणः अन्य	समशुल निशा पत्नी दुन्ने खां
व्यावसायिक संपत्ति संख्या 508, (एक प्लॉट (508 का हिस्सा) गाँव–हाथीपुर, परगना, पहाड़ा, तहसील सदर, जिला–फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209625, क्षेत्रफल 0.008 हेक्टेयर पूर्व से पश्चिम तक 20 फीट और उत्तर से दक्षिण 43.6 वर्ग फीट कुल क्षेत्रफल 872 वर्ग फीट (80.83 वर्ग मीटर) और सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः समशुल निशा की दुकान, पश्चिमः दुन्ने खां की दुकान, उत्तरः रोड, दक्षिणः मुन्ने खां की संपत्ति।	समशुल निशा पत्नी दुन्ने खां

नोटः उपरोक्त सूचना को अधिनियम के नियम 6, 8 और 9 के तहत बिक्री के लिए 30 दिनों का नोटिस भी माना जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी,

स्थानः फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, दिनांकः 15.09.2025 — एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सी 54–55, सुपर बी–4, थिरु–विका, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई–600001, **चंडीगढ़ शाखाः** एससीओ 350–351–352, तृतीय तल, सेक्टर–34–ए, चंडीगढ़–160022, **यमुनानगर शाखाः** एससीओ 105, सेक्टर 17, एचएसवीपी कमर्शियल बेल्ट, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुनानगर 135003.

संपर्कः श्री अमित मलिक, मोबाइल नंबर 93568 61616 और श्री अमित राठी, मोबाइल नंबर 98138 40420

सूचना (बिना किसी पूर्वाग्रह के)

1. नरेश कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर दास शर्मा, 2. पूनम शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा, 3. मुकेश शर्मा पुत्र नरेश कुमार शर्मा, 4. निर्मला शर्मा पत्नी नरेश कुमार शर्मा, 5. यश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा, 6. रिवर्सडेल इंटरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर (नरेश कुमार शर्मा) के माध्यम से, मकान नंबर 3132/13, शिव कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, वार्ड नंबर 13, रादौर (ग्रामीण) (45), रादौर, यमुना नगर 135133.

7. रिवर्सडेल एंटरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर के माध्यम से (नरेश कुमार शर्मा)

साथ हीः सामने टेलीफोन एक्सचेंज, रादौर, यमुना नगर 135133.

विषय – निर्मित संपत्ति में रखी चल वस्तुओं को हटाने की सूचना, 302 **वर्ग गज का मकान नंबर 1228, वार्ड नंबर 13 कस्बा रादौर में स्थित, बिक्री विलेख संख्या 313 दिनांक 09-06-1998 के अनुसार पंजीकृत, सुधार विलेख संख्या 490 दिनांक 04-06-2015 द्वारा आगे सुधारा गया। (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए प्रतिभूत संपत्ति कहा जाएगा)**

जबकि अधोहस्ताक्षरी मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, जिसका पंजीकृत कार्यालय चोला क्रेस्ट "सी 54 और 55, सुपर बी 4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600032 में है। (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए सीआईएफसीएल कहा जाएगा) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत और प्रतिभूति हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 [12] के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में 17-12-2024 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना और 18-03-2025 की धारा 13 (4) के तहत ऋण खाता सं. HE01YAM00000044131 में सूचना जारी की गयी।

उपर्युक्त सूचना भेजने के बावजूद आपने न तो बकाया राशि का भुगतान किया है और न ही प्रतिभूत संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपा है और अधोहस्ताक्षरी ने 22/08/2025 को संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। सरफैसी अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति को खाली करने के कई अनुरोधों के बाद भी, कुछ घरेलू सामान अभी भी प्रतिभूत संपत्ति के परिसर में हैं, विधिवत हस्ताक्षरित सूची भी तदनुसार तैयार की गई है। इस सूचना पत्र के माध्यम से, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर, प्रतिभूत संपत्ति से तैयार और विधिवत हस्ताक्षरित सूची के अनुसार अपने सभी चल सामान और वस्तुओं को हटा दें, क्योंकि उस तिथि तक सीआईएफसीएल घर में रखे सामान और वस्तुओं के संरक्षण का सारा खर्च वहन कर रही है। इस सूचना को आपके सामान को हटाने का अंतिम अवसर माना जाएगा, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी चल सामान और वस्तुओं की नीलामी की कार्यवाही शुरू कर देंगे।

आपसे अनुरोध है कि आप मुझसे (सीआईएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी) कार्यदिवसों में कार्य समय के दौरान मिलकर इसके लिए समय–सारिणी तय करें।

दिनांकः 19/09/2024 — प्राधिकृत अधिकारी- मेसर्स चोलामंडलम

स्थानः चंडीगढ़/यमुना नगर — इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

UGRO CAPITAL

चौथी मंजिल, टावर 3, इक्विनॉक्स बिज़नेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से संबंधित सूचना में उल्लिखित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना ध्हे है कि उधारकर्ता/गण मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नियमावली के अनुसार मांग सूचना की प्राप्ति इसे चिपकाकर और प्रकाशित करके की / करवायी जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु यहां इसमें नीचे प्रस्तुत तालिका में उद्धृत है :

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना तिथि तथा राशि
1.	1) चिराग फ्रूट कंपनी, 2) इमराना 3) चिरागुद्दीन लैन – UGGKRSS0000054428	मांग सूचना तिथि : 10–सितंबर–25 सूचना राशि : रु. 66,66,444.00/– 08–सितंबर–2025 के अनुसार
	सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) के विवरण :– मकान संख्या 0016 के, अरजी संख्या 61 मिन., मौजा चिलमापुर टप्पा और परगना हवेली तहसील सदर, जिला गोरखपुर में स्थित, क्षेत्रफल 95.53 वर्ग मीटर। सीमायें :– उत्तर : कनीज फातिमा की जमीन, दक्षिण : मुंतज की जमीन, पूर्व : अन्य व्यक्ति का मकान, पश्चिम : 12 फीट चौड़ी सड़क।	
2.	1) न्यू सेवा हॉस्पिटल, 2) अर्चना चौधरी 3) अरुण पाल चौधरी, 4) मीरा देवी 5) हरि नारायण, लैन – UGGKRMS0000061834	मांग सूचना तिथि : 10–सितंबर–25 सूचना राशि : रु. 28,97,133.00/– 08–सितंबर–2025 के अनुसार
	सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का विवरण :– आवासीय भूखंड जो भूमि संख्या 188एमआई. मौजा उस्का खुर्द टप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्षेत्रफल 163.00 वर्ग मीटर, सीमायें :– उत्तर : अन्य की भूमि, दक्षिण : सड़क, पूर्व : विशम्भर व अन्य की भूमि, पश्चिम : हरिराम की भूमि।	

एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर इसमें उल्लिखित मांग राशि और इसके साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता कृपया ध्यान दें कि यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ता द्वारा यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बंधक रखी गई अचल परिसंपत्ति (यों) के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहता है, तो यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड, उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए, सुरक्षित परिसंपत्ति (यों) को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगी, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उसे हस्तांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ताओं द्वारा यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना(ओं) की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(गण), यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश — हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)

दिनाँक : 19-09-2025 — कृते यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड, authorized.officer@ugrocapital.com

---

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

सीआईएनः L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालयः – केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई– 600031.

टेलीफोनः +91 44 4564 4000 | **फैक्सः** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना।

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं तथा अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जिसका विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णन किया गया है तथा उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा तथा यह उनकी संबंधित तिथियों से संविदात्मक दर के अनुसार लिया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) के अनुसार नोटिस की तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	125694307	गृह ऋण	30.08.2025	8,46,595.22/–

उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं का नामः 1. अरविंद कुमार 2. सुनीता अरविंद

संपत्ति का पताः प्लॉट/संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 78 वर्ग गज है यानी 00 कनाल 2.58 मरला जो 06 कनाल 08 में से 78/3872 हिस्सा है, जिसमें खेवट संख्या 4849, खतौनी संख्या 5284, खसरा संख्या 253//15/1, गांधी नगर, गोहाना के क्षेत्र में स्थित, नगर निगम सीमा गोहाना, तहसीलः गोहाना, जिलाः सोनीपत, हरियाणा–131301 के भीतर, जो निम्नानुसार आयामों से घिरा हुआ है:– पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः सड़क, उत्तरः जोगेंद्र का घर, दक्षिणः परवीन का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांक : 19.09.2025, स्थान : सोनीपत — **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं 14/2074–7, मुथूट सेंटर, पुन्नन रोड, तिरुवनंतपुरम – 695 034, सीआईएनः U65922KL2010PLC025624, कॉर्पोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परीनी क्रेसेन्जो, प्लॉट नंबर सी 38 और सी 39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स–जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई–400051 दूरभाष संख्याः 022–62728517, ईमेल आईडीः authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट –IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/गारंटरों को मांग नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन पूरे होने के बाद, उधारकर्ता/गारंटर/गारंटर राशि चुकाने में विफल होने के कारण, उधारकर्ता/गारंटर/गारंटरों और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

क्र सं	लैन/उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता /गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कुल ओ/एस राशि (रु) भविष्य में लागू ब्याज	कब्जे की तिथि
1	लैन संख्या MHFLCONAJM000005013653 और MHFLPROAJM000005013752 1. मुकेश कुमार 2. रेखा देवी	08–मई–2025	रु 30,79,581.88/– और रु 12,38,009.16/– 08–मई–2025 तक	17–सितंबर–2025
	सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरणः आल पीस एंड पार्सल, आवासीय संपत्ति, प्लॉट संख्या 94, (पी.टी.सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 105) पुराना खसरा संख्या 89/13, नया खसरा संख्या 89, एकता नगर, रामनेर रोड के अंदर, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 142 वर्ग गज, सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या 93 (पी.टी.सर्वेक्षण संख्या 106) पश्चिमः प्लॉट संख्या 95 (पी.टी.सर्वेक्षण संख्या 95) उत्तरः 15 फीट रास्ता, दक्षिणः प्लॉट संख्या 76 (पी.टी.सर्वेक्षण संख्या 112)			

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/गारंटर और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसके लिए ऊपर उल्लिखित मांगी गई राशि और उस पर अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

स्थानः राजस्थान, दिनांकः 19 सितम्बर 2025 हस्ता/– — प्राधिकृत अधिकारी – मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

VIRUS RESEARCH AND DIAGNOSTIC LABORATORY - ARMY HOSPITAL R&R, DELHI CANTT

1. Applications are invited for the following post at Viral Research and Diagnostic Laboratory (VRDL), Army Hospital R&R, Delhi Cantt - 110010 **purely on contractual basis for a period of one year**:-

S. No	Name of Post	Eligibility Criteria	Emoluments in Rs.
(a)	**Scientist B (Med/Non- med)** **One vacancy only** **Preference will be given to candidate with medical qualifications**	**Essential Qualification: (For Sci B-Med)** MD / MS / DNB / MDS / M.V.Sc. & AH recognized by MCI/ DCI/ VCI respectively. Or MBBS / BDS / B. V. Sc degree with ONE YEAR experience in research. **Essential Qualification: (For Sci B - Non-med)** First class Master's degree in Life Sciences from a recognized University with 2 years' experience in related field. OR 2nd class Master's Degree with Ph.D in relevant subject from a recognized University. **Desirable Qualifications**: - (i) MD in the related subject from a recognized university for candidates with first class. (ii) Research/training experience in Viral Diagnosis/Infectious disease outbreak diagnosis/ Sangers Sequencing/NGS/field experience of sample collection and transport in viral disease outbreak. (iii) Knowledge of Computer Applications / Data Management / molecular bioinformatics tools, Primer/Probe designing, phylogenetic analysis. (iv) At least two original research publications (published or accepted) in PubMed indexed journal. **Note:-** (i) MD/MVSc/PhD degree in relevant subject shall be treated equivalent to three years' experience. (ii) Candidates with MD/MDS/MVSc/PhD degree and age less than 40 years will be preferred.	**56000 + HRA**

1. Desirous candidates are requested to apply with Bio-data/CV to email: **vrdlahrrdelhi@gmail.com**
2. Selection is based purely on merit. Shortlisted candidates will be intimated telephonically or by E- mail for examination and interview.
3. The last date of receipt of application is **30 Sep 2025**.

डीसीबी बैंक लिमिटेड,

DCB BANK

(ए–सेट हाउस, 7/56, डी.बी.गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005)

(कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013, महाराष्ट्र)

ई–नीलामी बिक्री सूचना

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के अंतर्गत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं), सह–ऋणकर्ताओं और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्ति डीसीबी बैंक लिमिटेड के पास बंधक है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत कब्जा ले लिया है। नीचे उल्लिखित बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, संपत्तियों को निविदा सह सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।

संपत्ति को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है", "जैसा है जैसा है", "जो भी है" तथा "नो रिकोर्स" आधार "पर बिना किसी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बेचा जाएगा।

उधारकर्ता और गारंटर का नाम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि और समय	कब्जे का प्रकार
श्री अनीश कुमार तिवारी, श्रीमती नन्ही देवी, श्री मनीष कुमार और श्रीमती शीला देवी	रु. 25,00,000/– (केवल पच्चीस लाख रुपये)	रु. 2,50,000/– (केवल दो लाख पचास हजार रुपये)	रु. 25,000/– (रु. पच्चीस हजार मात्र)	24–10–2025 और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक	प्रतीकात्मक

बंधक संपत्ति का विवरणः संपत्ति आईडी संख्या 322सी626यू544 मकान संख्या 221, वाका आनंद कॉलोनी, पुराना हमीदा, यमुना नगर, यमुना नगर, हरियाणा –135001 में स्थित

ईएमडी जमा करने की तिथि और समय 23–10–2025 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक, भागीदारी के अनुरोध पत्र केवाईसी, पैन कार्ड, ईएमडी का प्रमाण ईमेल आईडी manpreet.singh5@dcbbank.com और nikunj.mathur@dcbbank.com पर भेजें।

संपत्ति का निरीक्षण दिनांक और समयः– 13–10–2025 से 17–10–2025 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच श्री मनप्रीत सिंह, मोबाइल– 9872301684, श्री निकुंज माथुर – मो. 9818979116 से सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच संपर्क करें।

इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि केवल डीसीबी बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी।

ई–नीलामी के नियम और शर्तें

1) संपत्तियां "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है जैसी है" और "कोई सहारा नहीं" के आधार पर बिना किसी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बेची जा रही हैं।
2) पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक बकाया/परिवर्त शुल्क/अन्य बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे और प्राधिकृत अधिकारी या बैंक ई–नीलामी वाली संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुल्क, भार में ग्रहणाधिकार या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, जो बैंक को ज्ञात नहीं है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के क्षेत्रफल, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें।
3) (संपर्क करें टी. जय प्रकाश रेड्डी, मोबाइल नंबर 8142000064 बैंक एंड ऑफिसः 8142000066/63/62, कार्यालय मेल आईडीः info@bankauctions.in और मेल आईडीः prakash@Bankauctions.in उनके वेब पोर्टल https://bankauctions.in@ पर उल्लिखित तिथियों पर ऊपर दी गई तालिका में 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें देख लें। https://www.dcbbank.com/cms/showpage/pagecustomer-corner लिंक देखें।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (4closure.com), मोबाइल नंबर 8142000064, बैंक–एंड ऑफिसः 8142000066/63/62 से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई–बोली के लिए अनिवार्य है। संभावित बोलीदाता केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5) नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जो वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध है।

दिनांकः 19–09–2025, स्थानः हरियाणा — हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी, डीसीबी बैंक लिमिटेड

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, तिलहर शाहजहाँपुर

पत्रांकः 832/नि0का0/नि0प्रकाशन/2025-26 — दिनांकः 18.09.2025

निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि खण्ड विकास अधिकारी तिलहर, शाहजहाँपुर पंचम राज्य वित्त के अन्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नीचे दिये जा रहे विवरण के अनुसार कार्य किये जाने है। जिसके लिये सीलबन्द निविदायें 19.09.2025 से 03.10.2025 तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त होने वाली निविदायें दिनांक 03.10.2025 को अपराहन 1:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ / उनके प्रतिनिधियो के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित कमेठी के द्वारा कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा संबधीं फार्म प्रकाशन की तिथि से दिनांक 03.10.2025 तक के प्रातः 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रु0 500/- पांच सौ मात्र प्रतिकार्य जमाकर कार्यालय से क्रय किया जा सकता है। निर्धारित दिनांक 03.10.2025 समय 12:00 के उपरान्त प्राप्त होंने वाली निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते विकास खण्ड पर निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस मे देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम स्थल सहित	अनुमानित लम्बाई	अनुमानित कुल लागत (लाख में)	निविदा का मूल्य	अर्नेस्ट मनी 2 प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ होने से कार्य पूर्ण होने की अवधि
1.	ग्राम चावरखास मे मेन रोड से संजीव सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	180मी0	9.99	500.00	19980.00	03 माह

नियम व शर्तेः-

1. प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहरराशि की बैंक ड्रॉफ्ट / एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी तिलहर शाहजहांपुर के पक्ष मे बन्धक करवाकर निविदा के साथ सलग्न किया जाना एवं निविदा खोले जाने के पूर्व मूल प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. जमानत की धनराशि निविदा की 10 प्रतिशत होगी जो निविदा स्वीकृत के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को अवषेश 8 प्रतिशत जमानत धनराशि का बैक ड्रॉफ्ट / एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी तिलहर शाहजहापुर के पक्ष मे बन्धक करवाकर कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। जिससे कार्य पूर्ण होने के छः माह बाद वापस कर दिया जायेगा।
3. पंजीकृत ठेकेदार की ही निविदा मान्य होगी।
4. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
5. सशर्तनिविदा/ ओवरराईटिग कटिगं निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
6. निविदा के साथ रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित कर देना अनिवार्य होगा।
7. समस्त कार्य धन की उपलब्धता पर कराये जायेंगे।
8. विकास खण्ड तिलहर मे पंजीकृत होने के उपरान्त ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी
तिलहर, शाहजहांपुर।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंदी, चेन्नई–600032

चंडीगढ़ शाखाः एससीओ. 350–351–352, तीसरी मंजिल, सेक्टर–34–ए, चंडीगढ़–160022

सोनीपत शाखाः एससीओ 155, फर्स्टफ्लोर, सोनीपत – 133001. पानीपत शाखाः एससीओ 9, सेक्टर 25, हुडा, मलिक पेट्रोल पंप के पीछे, जीटी रोड पानीपत – 132103.

संपर्कः श्री अमित मलिक मोबाइल नं. 93568 61616 एवं श्री अरुण सरोहा मोबाइल नं. 9761779212

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना (नियम 8 और 9)

एतद्‌द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं, जिसका सांकेतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जिसे इसके बाद **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। प्रतिभूत संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से **"जहां है जैसे है अधार", "जो है यही है आधार" तथा "जो कुछ भी है वहीं है आधार"** के आधार पर की जाएगी। एतद्‌द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://chola-lap-procure247.com/** तथा **www.cholamandalam.com/news/auction-notices** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

खाता सं. तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधककर्ताओ के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार तिथि तथा राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा संविदा वृद्धि राशि (रु. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
ऋण खाता क्रमांक HE01PAN00000046073 **कर्जदार और सह-कर्जदारः-** 1. संदीप कुमार पुत्र राम कुमार सिंह 2. पूजा रानी पत्नी संदीप कुमार दोनों निवासीः मकान नंबर 15/2, महम रोड, विश्वकर्मा कॉलोनी, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा -131301. 3. मैसर्स दीपचंद ट्रॉली वर्क्स अपने प्रोपराइटर (संदीप कुमार) के माध्यम सेः वार्ड नंबर 15, महम रोड, विश्कर्मा कॉलोनी, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा-131301।	14-05-2025 तथा 14-05-2025 को रु. 96,51,172/- इसके अतिरिक्त उस पर भावी ब्याज और प्रभार	**संपत्ति 1:** मौजा गोहाना, विश्वकर्मा कॉलोनी गोहाना, जिला सोनीपत में स्थित 27 वर्ग गज का मकान, का समस्त भाग व खण्ड पंजीकृत हस्तांतरण विलेख के अनुसार दस्तावेज संख्या 4307 दिनांक 15/09/2014 **सम्पत्ति 2:** मकान माप 37 वर्ग गज का समस्त भाग, मौजा गोहाना, विश्वकर्मा कॉलोनी, गोहाना, जिला सोनीपत में स्थित, पंजीकृत अन्तरण विलेख दस्तावेज सं. 4305 दिनांक 15.09.2014. **सम्पत्ति 3:** दुकान माप 70 वर्ग गज का समस्त भाग, मौजा गोहाना, विश्वकर्मा कॉलोनी गोहाना में स्थित, एमसी क्षेत्र के भीतर, अन्तरण विलेख दस्तावेज सं. 4115 दिनांक 09.09.2014 के माध्यम से पंजीकृत	रु. 1,20,00,000/- रु. 12,00,000/- रु. 1,00,000/-	28.10.2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 27.10.2025, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अपॉइंटमेंट के अनुसार

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय सांविधिक बिक्री सूचना भी है

1. सभी इच्छुक प्रतिभागी/बोलीदाता कृपया वेबसाइट **https://chola-lap.procure247.com/** तथा **https://www.cholamandalam.com/news/auction-notices** देखें।
2. विवरण और सहायता के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें : मुहम्मद रहीस-8124000030/ 6374845616, ई-मेल आईडी : **CholaAuctionLap@chola.murugappa.com**
3. केवल ई-नीलामी प्रशिक्षण के लिए सम्पर्क करें : **M/s Procure247;** वासु पटेल 9510974587

तिथि : 19.09.2025, — **अधिकृत प्राधिकारी**

स्थान : चण्डीगढ़/सोनीपत/पानीपत — **मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**